18/6/25	आज पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नं. 2 हेतु तहसीलदार बाड़ी की अध्यक्षता में राजस्व टीम गठित कर दोनों पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए मौके पर सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की जावे। इस हेतु परवाना तहसीलदार बाड़ी को जारी हो। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तकमील शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्डाधिकारी बाड़ी (धौलपुर) राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री भगवत शरण त्यागी (आर0ए0एस0)

उनवानी

ओमप्रकाश बनाम अनारदेवी

1. ओमप्रकाश उम्र 68 वर्ष पुत्र बाबू जाति यादव (अहीर) निवासी किला बाड़ी तहसील बाड़ी ज़िला धौलपुर (राज0)

प्रार्थी :–

बनाम

1. अनारदेवी उम्र 72 वर्ष पत्नी विजेन्दर सिंह
2. अनिल उम्र 32 वर्ष पुत्र विजेन्दर सिंह
3. कमलेश उम्र 50 वर्ष पुत्र विजेन्दर सिंह
4. मिथलेश उम्र 52 वर्ष पुत्र विजेन्दर सिंह

} जाति यादव (अहीर) निवासीगण किला बाड़ी तहसील बाड़ी जिला धौलपुर (राज0)

5. राकेश उम्र 47 वर्ष पुत्र विजेन्दर सिंह
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाड़ी वहैसियत लैण्ड होल्डर

अप्रार्थीगण :–

उपस्थित प्रार्थी के वकील – श्री रामदीश भारद्वाज एड0
अप्रार्थीगण के वकील – श्री बच्चूसिंह परमार एड0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129 एल.आर.एक्ट

वास्ते पत्थरगढी कराये जाने बावत

दिनांक :– 18.06.2025

प्रकरण सं0 :– 44 / 2024

आदेश

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 5035 रकवा 0.2782 हैक्टेयर, 5036 रकवा 0.6576 हैक्टेयर, 5037 रकवा 0.4806 हैक्टेयर, 5056 रकवा 0.0759 हैक्टेयर, 6264 / 5055 रकवा 0.0885 हैक्टेयर बांके कस्बा बाड़ी नम्बर 2 पटवार हल्का बाड़ी नम्बर 2 तहसील बाड़ी में स्थित है। जिनका प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है व मौके पर काबिज है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी की आराजीयात पर अवैध रुप से कब्जा कर लेने का प्रयास करने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.07.2024 को विवादित आराजीयात की पैमायश कराकर तहसीलदार बाड़ी के आदेशानुसार मौका पर्चा तैयार किया गया था तथा पैमायश कराकर निशानात लगाये गये। प्रार्थी की उक्त विवादित आराजीयात से सटे हुये अप्रार्थीगण के खेत आराजी खसरा नम्बर 5033 रकवा 0. 3667 हैक्टेयर, 5038 रकवा 0. 2529 हैक्टेयर, 5039 रकवा 0. 4553 हैक्टेयर, 5051 / 6182 रकवा 0.3415 हैक्टेयर, 6265 / 5055 रकवा 0.1644 हैक्टेयर बांके कस्बा बाड़ी नम्बर 2 तहसील बाड़ी में स्थित हैं। दिनांक 25.07.2024 को जब प्रार्थी विवादित आराजीयात को जुतवाने गया तो वहां पर प्रार्थी ने देखा कि अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 10.07.2024 को जो मौका पर्चा तैयार कर निशानात लगाये गये थे उन्हें नष्ट किया जा रहा है। इस बारे में

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज.

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से बात की और कहा कि तुमने हमारी आराजी की सीमा संबंधी निशानात को क्यों नष्ट किया है तो इस बात पर अप्रार्थीगण नाराज हो गये और प्रार्थी को विवादित आराजीयात से बेदखल करने और विवादित आराजीयात पर जबरन अनाधिपत्य करने की धमकी दी। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 राजनैतिक प्रभावशाली व ताकतवर व्यक्ति हैं, जो आये दिन प्रार्थी को विवादित आराजीयात की मेढ़ों को काट कर अपनी आराजीयात की सीमा में मिला रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी को आवश्यक हों गया है कि जरिये आदेश न्यायालय श्रीमान् विवादित आराजीयात की पैमायश कराकर पक्की पत्थरगढ़ी करवाये।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आराजीख0नं0 5035 रकवा 0.2782 हैक्टेयर, 5036 रकवा 0.6576 हैक्टेयर, 5037 रकवा 0.4806 हैक्टेयर, 5056 रकवा 0.0759 हैक्टेयर, 6264/5055 रकवा 0.0885 हैक्टेयर बांके कस्बा बाड़ी नम्बर 2 पटवार हल्का बाड़ी नम्बर 2 तहसील बाड़ी में स्थित आराजीयात की पुलिस इमदाद के साथ पैमायश कराकर पक्की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 5 द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार कर अंकित किया है कि :–

दिनांक 10.07.2024 को जो नापन की गई थी, वह अप्रार्थीगण की गैरमौजूदगी में की गई थी। इस प्रकार यदि कोई नापन की गई हो अथवा मौका पर्चा तैयार किया गया हो वह कतई गलत है। दिनांक 25.07.2025 को व दिनांक 10.07.2024 को विवादित भूमि पर कोई किसी भी प्रकार की क्रिया–प्रतिक्रिया नहीं हुई है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित आराजी पर प्रार्थी व अ प्रार्थीगण के मध्य कभी कोई किसी भी प्रकार की कहासुनी लड़ाई–झगड़ा अथवा वाद–विवाद नहीं हुआ है। ऊपर वर्णित आराजीयात से संबंधित प्रार्थी को बेदखल करने वाली बात अथवा उस पर जबरन आधिपत्य करने वाली बात अथवा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का राजनैतिक व प्रभावशाली व ताकतवर होने वाली बात मनगढ़ंत एवं झूठी अंकित की है। अप्रार्थीगण अपनी आराजी को बंटाई पर अन्य लोगों द्वारा कराई जाती है। इसलिये अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खेतों की मेढ़ों को काटने वाली बात भी नितांत झूठी है। प्रार्थी के कथनानुसार जब एक बार पूर्व में प्रार्थी की आराजी की पैमायश हो चुकी है तो प्रार्थी कानून पुनः पैमायश कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र म्याद बाहर पेश किया गया है अर्थात् काफी विलम्ब पेश किया है जो काबिल खारिजी है। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र में कोई जबावदेही पेश नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 6 ने जो मौका रिपोर्ट पेश की है वह गलत है व प्रार्थी से साजिश कर तैयार की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं खर्चा जबावदेही प्रार्थी से अप्रार्थीगण को दिलवाई जावे।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार बाडी से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाडी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम बाडी नं0 2 के आराजी ख0नं0 5035 रकवा 0.2782 हैक्टेयर, 5036 रकवा 0.6576 हैक्टेयर, 5037 रकवा 0.4806 हैक्टेयर, 5056 रकवा 0.0759 हैक्टेयर, 6264/5055 रकवा 0.0885 मुताबिक जमाबन्दी ओमप्रकाश पुत्र बाबू जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा बाडी दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी का सीमाज्ञान अधोहस्ताक्षरकर्ता के आदेशानुसार दिनांक 10.07.2024 को किया गया था। जिसके निशानात कायम कराये गये थे। वर्तमान में मौके पर उक्त सीमाज्ञान के निशानात उपलब्ध नहीं है तथा मौके पर उक्त आराजी खाली पडी हुई है। फसल कट चुकी है। प्रार्थी द्वारा अपनी उक्त आराजी का पुलिस की उपस्थिति में पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी की नियमानुसार पत्थरगढी किया जाना उचित है।

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज.

बहस वकील उभयपक्ष प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं0 2076–79 में प्रार्थी प्रश्नगत आराजी का तन्हा खातेदार काश्तकार अंकित है। बहस में प्रार्थी के वकील ने इस तथ्य पर सहमति जाहिर की कि अगर उक्त आराजी का पुनः सीमाज्ञान राजस्व टीम बनाकर किया जावे एवं पत्थरगढी कराई जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा राज0काश्त0अधि0 के मुताबिक प्रत्येक खातेदार अपनी खातेदारी की आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का हकदार होता है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी ख0नं0 5035 रकवा 0.2782 हैक्टेयर, 5036 रकवा 0.6576 हैक्टेयर, 5037 रकवा 0.4806 हैक्टेयर, 5056 रकवा 0.0759 हैक्टेयर, 6264/5055 रकवा 0.0885 हैक्टेयर बांके कस्बा बाड़ी नम्बर 2 पटवार हल्का बाड़ी नम्बर 2 तहसील बाड़ी हेतु तहसीलदार बाडी की उपस्थिति में राजस्व टीम बनाकर दोनों पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चत करते हुए मौके पर सीमाज्ञान कराया जावे। तदुपरान्त पत्थरगढी की कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये जाते है। उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु परवाना तहसीलदार बाडी को जारी हो। पत्रावली बाद तकमीलन दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज.